नाम न्यायालय — सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

उनवान

मुकदमा संख्या— अस्थाई निषेधाज्ञा—......38.../2017

.... बनाम ....

31/08/2022 दिनांक 13.06.17 को प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया जिसका सार निम्नानुसार है:—

ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान् 165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 114/1 रकबा 18 बिस्वा, 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 164/1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 13 बिस्वान्शी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि है। उक्त भूमि के मूल खातेदार काश्तकार तेजा पुत्र रामू कुम्हार के स्वर्गवास 1982 में हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 746 दिनांक 19/01/1998 को मृतक खातेदार नाम स्वीकार किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि में रामनारायण पुत्र तेजा के खातेदारी में अंकित भूमि प्रार्थी की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि है, जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक, स्वत्व व अधिकार निहित है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामनारायण पुत्र तेजा का नाम अंकित होने के कारण प्रार्थी का सहमति बिना ही प्रार्थी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि में दर्ज अविभाजित हिस्से को बजरिये विक्रय, दान, वसीयत आदि से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका वैधानिक अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं है। उक्त घटना पर प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम जयपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि में अपने अधिकारो की घोषणा हेतु एक वाद दिनांक 20/10/2014 को बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिस पर दिनांक 12/12/2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धित किया कि वे वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण विक्रय आदि न करें। परन्तु अप्रार्थी 1 ने लीस पेंडेंस दौरान उक्त पंजीकृत दान पत्र दिनांक 21/7/2015 व पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26/02/2016, 15/7/2016, 15/7/2016 द्वारा विवादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण कर दिया। उक्त दान पत्र व विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने बाबत वाद माननीय सिविल न्यायालय में 2010 में वादी द्वारा दायर किया गया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र .... पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी........ की अस्थाई निषेधाज्ञा से .... कालवाड तहसील व जिला जयपुर .... 165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा .... 114/1 रकबा 18 बिस्वा 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 164/1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 13 बिस्वान्शी में अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वह प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में निहित हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:29 IST
Reason: SelfAttested

(आर.ए.एस.)
अरशदीप बराड़
सहायक कलक्टर
प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ...मानाराम... बनाम ...श्री रामनारायण

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–.....38.../2017

न करें व प्रार्थी को बेदखल न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करावें तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे न करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर सभी पक्षकाराण की तामील करवाई गई। बाद तामील प्रतिवादी सं0 2, 3 व 4 अनुपस्थित रहे। अतः उनके खिलाफ 02.03.22 को एकपक्षिय कार्यवाई अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं0 1 व 5 के दौराने वाद फौत होने के कारण नाम हजफ किया गया व प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 से 12 द्वारा जवाब पेश कर अभीवचन किए गए कि उपरोक्त भूमि रामनारायण की, स्व–अर्जित सम्पत्ति थी। जिसका एकमात्र खातेदार रामनारायण था जिसने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 7 को उपहार पत्र एवं अपनी निजी आवश्यकताओं एवं पूर्व में लिये गये कर्ज की अदायगी के लिए अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 को विक्रय हस्तान्तरण कर दी एवं प्रार्थी को पूर्व में ही अन्य भूमि क्रय करके उसके नाम दर्ज व अंकित करवा दी थी। ऐसे में उक्त भूमि ना तो संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, ना ही उक्त भूमि में प्रार्थी के किसी प्रकार के हक व अधिकार निहित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वाद विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादअधीन भूमि मिन उत्तरदातागण द्वारा भूमि के पूर्व रिकार्डेड खातेदार काश्तकारों से क्रय की गई थी। विधि के प्रावधानों के अनुसार विक्रय पत्र तस्दीक किये जाने की स्थिति में जब तक उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कर लिया जाता तब तक माननीय राजस्व न्यायालयों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादअधीन भूमि के विक्रय पत्र एवं दान पत्र के संबंध में विक्रय पत्र को निरस्त एवं घोषणा के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद से पूर्व का विचाराधीन वाद है। ऐसी स्थिति में उसे उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से उसके हक व अधिकार तक नल एण्ड वोईड नहीं करवा ले तब उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। ऐसे मे प्रार्थी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

दिनांक 26.08.2022 को वकील उभयपक्षों द्वारा बहस पेश की गई। उक्त लिखित बिन्दुओ से अतिरिक्त बहस का मुख्य बिन्दु यह रहा कि विभाजन उपरान्त पिता से प्राप्त भूमि स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है या नहीं। इस बाबत् प्रतिवादी का कथन यह रहा कि नामांतकरण उपरान्त पैतृक भूमि स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है [illegible] अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत AIR2013 Supream co[illegible] 352 [illegible] कर किया गया। इसके अतिरिक्त [illegible] अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि का [illegible] करना रहा।

उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों व न्यायिक दृष्टातों का मनन कर न्यायालय यह पाता है कि वादी द्वारा यह वाद अपने पिता के हिस्से की भूमि ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान आनाराम..... बनाम श्री शंभुनारायण आदि

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–.....38.../2017

165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 114/1 रकबा 18 बिस्वा, 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 164/1188 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 164/1184 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 13 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 13 बिस्वान्शी पैतृक भूमि में अपने हिस्से की घोषणा का पेश किया है। वादी द्वारा इस बाबत् सर्वप्रथम 2014 में वाद दायर किया गया जिस दौरान न्यायालय द्वार अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दी गई, परन्तु दौराने स्थगन प्रतिवादी 1 द्वारा 2016 में अपने हिस्से की भूमि का जरिए विक्रय/दानपत्र हस्तांतरण कर दिया गया। इस हस्तांतरण को खारिज करवाने बाबत् 2016 में वादी प्रार्थी द्वारा सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसके उपरान्त 2014 का दायर वाद कंडीशनल खारिज होने उपरान्त 2017 में इस न्यायालय में पुनः दर्ज किया गया जो फिलहाल विचाराधीन है।

वाद दायर होने से आदिनांक इस विवाद में परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। प्रार्थी (वादी) के पिता (अप्रार्थी सं0 1) के फौत होने उपरान्त व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि के किए गए हस्तांतरण को निरस्त करवाने बाबत् प्रार्थी (वादी) द्वारा 2016 में सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया। उस वाद के लम्बित होने की ऐसी स्थिति में यह वाद (37/2017) केवल घोषणा तक सीमित नहीं रह गया, इसका निर्णय सिविल न्यायालय में चल रहे वाद के निर्णय पर निर्धारित है। उभयपक्षों द्वारा अपनी बहस में पेश किए गए निम्नलिखित दो मुख्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त निर्णित किये जाने उचित है।

1. क्या नामांतरण उपरान्त भूमि स्वयं अर्जित मानी जाती है या नहीं ?
2. क्या विवाद में रहते किया गया बेचान दानपत्र/लीस पेंडेंस के तहत प्रभाव शून्य है ?

फिलहाल प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दुओं पर मनन कर निर्णय किया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र, जवाब, प्रस्तुत दस्तावेजों व उभयपक्षों की बहस उपरान्त यह बिन्दु निम्नानुसार निर्णित किए जाते हैं।

प्रथम दृष्टयाः– विवादग्रस्त भूमि ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 114/1 रकबा 18 बिस्वा, 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 164/1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 [illegible] किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 13 [illegible] वादी द्वारा अपने हिस्से की घोषणा [illegible] बाबत् वाद सिविल न्यायालय [illegible] है। वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम न[illegible] है। उक्त भूमि पर उसका कब्जा साबित करने बाबत् भी प्रार्थी ने कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत वाद विचाराधीन है, जहां खातेदारी व कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान आनन्दराज बनाम रामनारायण वगै०

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–38/2017

दृष्टया विन्दु पूर्ण रूप से वादी के पक्ष तय नहीं किया जा सकता।

सुविधा का संतुलन:– उक्त विवादग्रस्त भूमि सहखातेदारों की अविभाजित भूमि है। प्रार्थी फिलहाल विवादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है, उसने अपने 1/9 हिस्से बाबत् घोषणा चाही है जिस बाबत् वाद अभी माननीय सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। शेष भूमि अन्य पक्षकारान (रिकोर्डेड खातेदारों) की है, जिस पर वह काबिज हो उपयोग–उपभोग करने के अधिकारी है। अविभाजित भूमि पर स्थगन से अन्य पक्षकारों (रिकार्डेड खातेदारों) के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी, जो न्यायोचित नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता।

अपूर्णीय क्षति:– यदि उक्त अविभाजित भूमि के रिकोर्डेड खातेदारों को उनके हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करने से बाधित किया जाता है तो उनको अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना भी संभव नहीं होगा।

प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में निर्णित नहीं होते। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि बाबत् सिविल न्यायालय, अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम संख्या 5 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष दानपत्र/विक्रय निरस्त किए जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके निर्णय अनुसार प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होगा। **अतः यह न्यायालय वर्तमान स्थिति में विवादित भूमि ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयुपर स्थित खसरा नम्बरान् 165 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 114/1 रकबा 18 बिस्वा, 115/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, 164/1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 164/1184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा 13 बिस्वान्शी पर स्थगन देना उचित नहीं मानता। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।**

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो कर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 31/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम